गोपाल बनाम सुरताराम
2026/21
निर्णय दिनांकः–28.04.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बालोतरा
(पीठासीन अधिकारी –भंवर लाल आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:–06/2026 दर्ज तिथिः–29.01.2026

1. गोपाल पुत्र उदाराम
2. चेलाराम पुत्र उदाराम
3. जमना पत्नी उदाराम
4. निम्बाराम पुत्र बागाराम
5. पूनमाराम पुत्र बागाराम
6. पूनमाराम पुत्र कोहलाराम
7. हरीराम पुत्र उदाराम
   जाति विश्नोई निवासी आलेटी तहसील धोरीमना जिला बालोतरा

बनाम

1. सुरता पुत्र चिमना जाति रबारी
2. उदाराम पुत्र मोडाराम
3. उमाराम पुत्र मोडाराम
4. नवलाराम पुत्र मोडाराम
5. वागाराम पुत्र मोडाराम
6. भाखराराम पुत्र धीमाराम
7. उदाराम पुत्र मोडाराम
8. किसनाराम पुत्र कानाराम
9. तेजाराम पुत्र गोरखाराम
10. भागीरथराम पुत्र गोरखाराम
11. भारमल पुत्र गोरखाराम
12. मंगली पत्नी कानाराम
13. मानाराम पुत्र ईशराराम
14. मालाराम पुत्र मोटाराम
15. हरिराम पुत्र रामूराम
    जाति विश्नोई निवासी आलेटी तहसील धोरीमना जिला बालोतरा

......................असल विप्रार्थीगण

16. तहसीलदार धोरीमन्ना

..........................तरतीबी अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री हापूराम
अप्रार्थीगणः–श्री एक तरफ

Signature Not Verified

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111,128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:10 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–27.04.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 119, 131, 132, 133, 134, 214 / 135, 215 / 135, 216 / 135 रकबा क्रमशः 10.7242, 0.0081, 0.1862, 1.5459, 0.3966, 0.0081, 0.7943, 5.7536 है0 वाके ग्राम आलेटी, पटवार हल्का अरणीयाली तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार धोरीमन्ना के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के आदेश भू.अ. / 2025 / 312 दिनांक 01.12.2025 की पालना में हल्का पटवारी दिनांक 04.12.2025 को प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 119, 131, 132, 133, 134, 214 / 135, 215 / 135, 216 / 135 रकबा क्रमशः 10.7242, 0.0081, 0.1862, 1.5459, 0.3966, 0.0081, 0.7943, 5.7536 है0 वाके ग्राम आलेटी, पटवार हल्का अरणीयाली तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करने हेतु पहूंचे । मोके पर उपस्थित खातेदार व पड़ौसी खातेदारें के रूबरू उक्त खसरान का सीमाज्ञान मुस्तकित बिन्दु कायम कर जरीब चलाकर किया गया। रेत के धूम्बे बनाकर सीमा चिन्ह बनाये गये जिससे सभी खातेदारों ने सहमति जाहिर की लेकिन खसरा संख्या 214 / 135,215 / 135, 216 / 135 का सीमाज्ञान करने पर उकत खसरों के आंशिक हिस्से पर कब्जा पड़ौसी खसरा संख्या 219 / 122इ के खातेदारों का होना पाया जाने पर पड़ौसी खातेदारों ने असहमति जाहिर कर विवाद शुरू कर दिया। जिससे मौके पर विवाद की स्थिति में सीमाज्ञान नहीं किया जा सका। अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। असल अप्रार्थीगण संख्या 1 से 15 के नोटिस विधिवत तामिली के बावजूद असालतन–वकालतन न्यायालय हाजा उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 04.12.2025 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:10 IST
Reason: SelfAttested

4. मैंने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.—*** *(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, <u>where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.</u>*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the <u>Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.</u>*

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:—

> ***128. Boundary disputes. -*** *All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> *Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 04.12.2025 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार धोरीमन्ना के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश करने पहुंचे लेकिन विवाद की स्थिति में पेमाईश नहीं की जा सकी। उक्त विवादित आराजी के पक्षकारान के मध्य भूमि के न केवल सीमा संबंधी ब्ल्की कब्ज़े के संबंध में विवाद है । उक्त आराजी का अस्पष्ट टाईटल होने से प्रथम दृष्टया उक्त आराजी विवादित प्रतीत होती है तथा प्रार्थीगण विवादित आराजी की पत्थरगढी कर अपना [illegible] प्रमाणित करवाना चाहता है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी [illegible] तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को आराजी के कब्जे [illegible] होने पर अस्वीकार किया जाकर खारीज जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:10 IST
Reason: SelfAttested

गोपाल बनाम सुरताराम
2026 / 21
निर्णय दिनांकः—28.04.2026

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीयागण अंतर्गत धारा—111,128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 119, 131, 132, 133, 134, 214 / 135, 215 / 135, 216 / 135 रकबा क्रमशः 10.7242, 0.0081, 0.1862, 1.5459, 0.3966, 0.0081, 0.7943, 5.7536 है0 वाके ग्राम आलेटी, पटवार हल्का अरणीयाली तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा में अवस्थित आराजी का कब्जे संबंधी विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी किये जाने का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमना को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 27.04.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(भंवर लाल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:10 IST
Reason: SelfAttested